प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

19 दिसम्बर **2017**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन " सीमा शुल्क - अनुपालन लेखापरीक्षा आज संसद में प्रस्तुत

31मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सीमाशुल्क राजस्व (2017 का प्रतिवदेन सं. 41) पर लेखापरीक्षा आपत्तियों वाला भारत के नियंत्रक-माहलेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आज ससंद में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित अलग-अलग सीमाशुल्क आयुक्तालयों में देखी गई महत्वपूर्ण राजस्व हानि और/या कम निर्धारण पर लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को चार अध्यायों; नामत: शुल्क छूट/माफी योजनाओं में अनियमिततायें, सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत प्रयोग, लागू उगाहियों और अन्य प्रभारों की कम वसूली/वसूली न होना और वस्तुओं का गलत वर्गीकरण सारबद्ध किया गया है। प्रतिवेदन अध्याय I सीमाशुल्क राजस्व की वृद्धिशील प्रवृत्ति, परित्यक्त राजस्व का विश्लेषण, कर संग्रहण लागत और विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का कुल राजस्व प्रभाव ₹85 करोड़ है,जिसमें से ₹19 करोड़ की वसूली हुई है और ₹30 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले मामलों में सरकार ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने की सूचना दी है।

वर्ष 2016-17 के संघ वित्त लेखे में बताए गए राजस्व आंकड़ों और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में पिछले वर्ष की अपेक्षा वि.व 2016-17 के दौरान आयातों में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व क्रमश: 13 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व वि.व 16-17 में 172 प्रतिशत था। छ: निर्यात प्रोत्साहन और छूट योजनाओं में इन योजनाओं के अंतर्गत छोड़े गए कुल राजस्व का 96 प्रतिशत (₹ 87732 करोड़) था।

इस प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण निष्कर्षों का निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

I. शुल्क छूट/माफी योजनाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत लेखापरीक्षा ने जोखिम संभावना दर्शाने वाली विभिन्न पद्धतियों द्वारा स्क्रिप के पंजीकरण/स्क्रिप के प्रयोग में छेड़छाड़ के माध्यम से विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी दस्तावेजों के संबंध में शुल्क क्रेडिट का अनुचित उपयोग देखा। अनुज्ञप्तियों के अनुचित उपयोग में निहित मौद्रिक राशि का मूल्य ₹ *4.97* करोड़ था। इसी तरह के मामलों का उल्लेख पिछले वर्ष 2017 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में किया गया था।

{पैराग्राफ2.1.1 to 2.1.3}

II. निर्यातकों/आयातकों से ₹ 41.53 करोड़ का राजस्व बकाया था, जिन्होंने शुल्क छूट योजनाओं का लाभ लिया था किन्तु निर्धारित दायित्वों/शर्तों को पूरा नहीं किया था।

{पैराग्राफ2.2.1 से2.7.1}

III. लेखापरीक्षा ने ₹ 17.35 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाली छूट अधिसूचनाओं के गलत प्रयोग को इंगित किया है। चार मामलों में, लेखापरीक्षा ने जाली दस्तावेजों के आधार पर ₹ 57.18 लाख के राजस्व वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) का प्रतिदाय देखा। लेखापरीक्षा ने ₹ 16.78 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले छूट अधिसूचनाओं के गलत प्रयोग के 13 अन्य मामले भी देखे।

{पैराग्राफ3.1.1 से3.5}

IV. लेखापरीक्षा ने ₹ 15.03 करोड़ राशि के लागू उद्ग्रहणों की कम वसूली/वसूली न होने के 22 मामले देखे। ये मामले मुख्यत: आयात पर मूल सीमाशुल्क की कम वसूली, आयात पर लागू एंटी-डपिंग शुल्क की वसूली न होना, विशेष आर्थिक क्षेत्र में तैनात अधिकारियों की लागत वसूली प्रभारों के कम निर्धारण और वसूली न होने के कारण बकाया शुल्क की कम वसूली के कारण हुए थे।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.4}

V. बीस मामलों, जहांनिर्धारण अधिकारियों ने आयातित वस्तुओं का गलत वर्गीकरण किया था, के कारण ₹ 6.12 करोड़ के सीमाशुल्क की कम वसूलीहुई/वसूली नहीं हुई।

*{**पैराग्राफ**5.1 **से**5.7}*